दिनांक 27.03.2018

पत्रावली प्रस्तुत हुई। राजकीय अधिवक्ता एवं अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा **D.B. Civil Writ Petition No. 1536/03** अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सह निवेदन किया गया है की मेवाड़ स्टेट की जमाबंदी संबत् 1997 एवं भू–राजस्व के खसरा सम्बंत् 2025 के अनुसार ग्राम सिहाड़ उर्फ नाथद्वारा स्थित भूमि ख.नं. 1080 व 1471 रकबा 121 बीघा 09 बिश्वा किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त नदी अंकित थी। नवीन भू–प्रबन्ध में खसरा नं. 2053, 2057, 2099, 2101 एवं 2102 गत आराजी सं. 1080/1 मी0 से बने है। सहायक कलक्टर राजसमन्द की पत्रावली स. 135/77 के आदेश दिनांक 26.07.1978 के द्वार उपरोक्त भूमियों में से ख.नं. 2053 रकबा 04 बिश्वा किस्म चाही एवं जाव उतम बिलानाम को अप्रार्थीगण के पिता एवं पति के नाम अंकित किया गया है, जो वर्तमान जमाबंदी सम्बत् 2061–64 के खाता सं. 113 में अप्रार्थीगण के नाम अंकित है।

चूंकि भू प्रबन्ध अभिलेख से भूमि की मूलतः किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त नदी होकर यह भूमि गैर मुमकिन श्रेणी की होने से धारा 16 राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955 के अन्तर्गत आवण्टन/नियमन अथवा खातेदारी/गैर खातेदारी हक से राजस्व अभिलेख में अंकन के लिये प्रतिबंधित थी। अतः अप्रार्थी के नाम अंकित नदी की भूमि को अप्रार्थी के नाम से हटा कर पुनः बिलानाम गैर काबिल काश्त नदी अंकित किया जावे। इस पर प्रकरण रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 37/2006 पंजीबद्ध कर दिनांक 29.10.2007 को पारित निर्णयानुसार प्रार्थना पत्र पैरवी स्वीकार करते हुये अप्रार्थीगण के खाते ग्राम सियाड़ उर्फ नाथद्वारा स्थित भूमि खसरा नं. 2053 रकबा 4 बिस्वा किस्म चाही एवं जाव उत्तम भूमि जो कि बंदोबस्त से पूर्व मूलतः नदी अंकित भूमि होने से अप्रार्थीगण खाते से उक्त भूमि को हटाकर राजस्व अभिलेख में सरकारी खाते में पूर्वत गेर मुमकीन भूमियों की श्रेणी में किस्म नदी बिलानाम सरकार अंकित करने का आदेश पारित किया गया था। उक्त निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर में अपील संख्या 132/2007 पेश की गयी। जिसमें पारित निर्णय दिनांक 31.05.2010 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.10.2007 को निरस्त कर मामला इस निर्देश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया गया की अपीलार्थीगण को पुनः सुनकर अधीनस्थ न्यायालय उपर वर्णित परिस्थितियों के मध्यनजर नये सिरे से निर्णय पारित करें। जिस पर प्रकरण संख्या 2/2010 दायर कर पारित निर्णय दिनांक 18.07.2011 के द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.10.2007 को यथावत रखे जाने हेतु आदेश पारित किया गया।

अप्रार्थीगण के द्वारा इस न्यायालय के पारित निर्णय दिनांकः 18.07.2011 के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी,उदयपुर के यहां पर अपील संख्या 165/2011 पेश की गयी जिसमें पारित निर्णय दिनांकः06.09.2016 के द्वारा अपीलार्थीगण की अपील को निरस्त की जाकर इस न्यायालय के पारित निर्णय दिनांकः 18.07.2011 को यथावत रखा गया। अपीलार्थीगण के द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल में अपील/एल.आर./7022/2016 कुन्दनलाल बनाम सरकार पेश की गयी जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांकः 25.11.2016 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व मा0 राजस्व अपील अधिकारी,उदयपुर के द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स दर्ज कर यदि रेफरेन्स स्वीकार योग्य हैं तो उसे राजस्व मण्डल में रेफर करें।

माननीय राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार प्रकरण धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनि 1956 के तहत दर्ज किया गया। बहस के दौरान अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा मुख्यरुपेण संज्ञान में लाया गया कि आप न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय की अनुपालना में वादग्र भूमि को तहसीलदार, नाथद्वारा ने अप्रार्थीगण के खाते से हटाकर राजस्व अभिलेख में बिला गैर काबिल काश्त किस्म नदी अंकित कर दी गयी किन्तु उक्त भूमि पर कब्जा अप्रार्थीगण का चला आ रहा हैं। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णयानुसार आप न्यायालय व मा0 राज अपील अधिकारी, उदयपुर के निर्णय को निरस्त किया जा चुका हैं। ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के खाते में अंकित जानी चाहिए। चूंकि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेख में बिलानाम गैर काबिल क किस्म नदी दर्ज हैं और अप्रार्थीगण के खाते दर्ज नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के खिल रेफरेंस की कार्यवाही भी कानूनन नहीं की जा सकती हैं।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा किये गये कथन पर गौर किया गया। उक्त मामले में प्र दृष्ट्या यह प्रकट हैं कि वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में बिलानाम गैर काबिल काश्त वि नदी के रुप में दर्ज हैं और अप्रार्थीगण के खाते अंकित नहीं हैं, ऐसी स्थिति में अधिव अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत तर्क न्याय संगत होना प्रतित होता हैं।

अतः इस मामले में हम यह उचित समझते है की सर्वप्रथम तहसीलदार नाथद्वारा माननी राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2016 की पालना में वादग्रस्त भूमि को अप्रार्थी के खाते अंकित करे तदपश्चात प्रकरण का पुनः परिक्षण कर बाद जांच यदि मामला धारा अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेफरेन्स योग्य पाया जाता है तो पृथक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र सुसंगत दस्तावेजों के साथ पेश किये जाने की कार्यवाही किया ज सुनिश्चत करे।

तहसीलदार, नाथद्वारा को उपरोक्त विवेचन अनुसार पालना किये जाने हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों।

(पी0सी0 बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)